बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–03/01/के0यो0–अधिसूचना(NAKSHA)–64/26– (8)/रा0, दिनांक–

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित, 2025) की धारा–3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा आदेश देते है कि स्थानीय शहरी निकायों (नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत) की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों के 06 जिलों यथा सारण, बक्सर, नालंदा, मुंगेर, बांका एवं रोहतास के अनुबद्ध अनुसूची में वर्णित कुल 06 शहरी निकायों– सोनपुर नगर परिषद्, बक्सर नगर परिषद्, राजगीर नगर परिषद्, तारापुर नगर पंचायत, बांका नगर परिषद् एवं डेहरी डालमियानगर नगर परिषद् में सन्निहित सभी ग्रामों की बाह्य सीमाओं के भीतर अवस्थित केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की भूमि सहित समस्त भूमि का भू–सर्वेक्षण (अंतिम प्रकाशन स्तर तक) संचालित किया जाए और उसके संबंध में अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए।

2. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित, 2025) एवं नियमावली, 2012 (यथा संशोधित, 2026) के तहत तैयार अधिकार अभिलेख में अभिलिखित किए जाने वाली विवरणी में निम्नांकित समाविष्ट होंगे :–

(क) प्रत्येक रैयत अथवा अभिधारी का नाम, पिता/पति का नाम, पत्राचार का पता, एवं रैयत का आधार नं0 एवं मोबाईल नं0

(ख) भू–धारी का भूमि का विवरण, एकल स्वामित्व का विवरण (उन मामलों में जहाँ भूमि के ऊपर भवन निर्मित है) और बहुस्वामित्व भवन से संबंधित विवरण (उन मामलों में जहाँ भूमि पर बहुमंजिला भवन निर्मित है एवं एक से ज्यादा स्वामी हो)।

(ग) प्रत्येक अभिधारी का वर्ग अर्थात वह भूधृति धारक अथवा निश्चित लगान पर भूमि धारण करने वाला रैयत है, अधिभोगी अथवा गैर अधिभोगी रैयत या दर रैयत है तथा यदि वह भूधृति धारक है तो स्थायी भूधृति धारक है या नहीं और उसकी भूधृति की अवधि में लगान बढ़ने योग्य है या नहीं,

(घ) प्रत्येक अभिधारी अथवा दखलकर्त्ता द्वारा धारित भूमि, भूमि पर अवस्थित भवन में धारित अंश की अवस्थिति एवं भूमि के अंश का क्षेत्रफल,

(ड.) अधिकार अभिलेख तैयार करते समय भुगतेय लगान

(च) लगान निर्धारण किस रीति से किया गया है – संविदा के द्वारा, न्यायिक आदेश के द्वारा यथा अन्यथा,

(छ) यदि लगान उत्तरोतर बढ रहा हो तो वह किस समय तथा किन चरणों में रहा है,

(ज) निम्नलिखित के संबंध में प्रत्येक अभिधारी और भू–स्वामी के अधिकार एवं दायित्त्व :–

(i) कृषि प्रयोजनों के लिए अभिधारियों द्वारा किसी नदी, झील, तालाब, या कुआँ या किसी अन्य आपूर्ति स्रोत से प्राप्त जल का उपयोग और

(ii) प्रत्येक अभिधारी द्वारा धारित भूमि पर खेती के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निमित्त साधित्र की मरम्मति और अनुरक्षण चाहे ऐसा साधित्र ऐसा भूमि की सीमाओं के भीतर अवस्थित हो या नहीं,

(झ) अभिधृति की कोई विशेष शर्त्त और अनुषंगी तथ्य, यदि कोई हो,

(ञ) जिस भूमि/भू–संपदा का अधिकार अभिलेख तैयार किया जा रहा है उससे सम्बद्ध आवागमन अथवा सुविधा संबंधी कोई अधिकार,

(ट) यदि भूमि/भू–संपदा के लगानमुक्त मुक्त रूप में धारित होने का दावा किया जाए तो वस्तुतः लगान चुकाया गया है या नहीं, और यदि नहीं चुकाया गया हो तो दखलकर्त्ता लगान के भुगतान के बिना भूमि/भू–संपदा धारण करने का हकदार है अथवा नहीं, यदि ऐसा है तो किस प्राधिकार के अधीन,

और

(ठ) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित, 2025) के प्रावधानों के तहत संचालित सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रचालनों के आधार पर घोषित प्रत्येक भू–स्वामी (Proprietor) की निजी भूमि की अवस्थिति, क्षेत्रफल, एक या अधिक चौहद्दियाँ, भू–धारी का भूमि का विवरण, एकल स्वामित्व का विवरण (उन मामलों में जहाँ भूमि के ऊपर

भवन निर्मित है) और बहुस्वामित्व भवन से संबंधित विवरण (उन मामलों में जहाँ भूमि पर बहुमंजिला भवन निर्मित है एवं एक से ज्यादा स्वामी हो)।

3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(जय सिंह),
सचिव।

ज्ञापांक–03/01/के0यो0–अधिसूचना(NAKSHA)–64/2026–892(8)/रा0, पटना–15, दिनांक–14/10/26

प्रतिलिपि–सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव, राजस्व पर्षद/सभी समाहर्त्ता/सभी बंदोबस्त पदाधिकारी/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना–7/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को (सी0डी0 सहित) सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभागीय आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(जय सिंह),
सचिव।
14/10/26